न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 235/2019

रण विजय सिंह.....वादी।

बनाम्

विकाश कुमार वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

22.04.2024

उभय पक्षों की पैरवी है। वादी के तरफ से दिनांक– 29.03.2023 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 वो 2 दफा 151 सी0 पी0 सी0 पर आज आदेश हेतु नियत है जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी द्वारा यह वाद यह घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है कि वादपत्र के अनुसूची सं0 2 व 3 में वर्णित भूखण्ड वादी की संयुक्त पैतृक सम्पत्ति है तथा जाली–फरेबी केवाला दिनांक– 29.08.2018 के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त कथित विक्रय विलेख न तो प्रतिवादी सं0 2 का तहरीर वो रजिस्ट्री किया हुआ है और न ही प्रतिवादी सं0 2 को वैसा कोई केवाला निष्पादित एवं निबंधित करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल था। वादपत्र में वर्णित वंशावली के अनुसार वादी भगवान सिंह के पुत्र हैं और भगवान सिंह के तमाम सम्पत्ति को वादी का भी हक हिस्सा संयुक्त रूप से है तथा वादग्रस्त भूखण्ड के निश्वत आज तक कोई भी बंटवारा नाप जोखकर नहीं हुआ है। अर्जीदावी के जमीमा नं0 2 ता 4 की एराजी वादी और प्रतिवादी दोयम और सोयम की इजमाली मौरूसी एराजी है जिस पर वादी पूर्वजों के समय से काविज दाखिल चले आते हैं, परन्तु वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के बीच नाप जोखकर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रतिवादी सं0 2 एक अत्यंत बृद्ध, पर्दानशीन व रोगी महिला हैं तथा प्रतिवादी फरीक औव्वल प्रतिवादी सं0 2 की इस खराब शारीरिक व मानसिक स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुये जाली फरेबी वसीका बयनामा कराये हैं। इसकी जानकारी होने पर वादी द्वारा यह मुकदमा दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण खुलेआम यह एलान करना शुरू कर दिये हैं कि विवादित एराजी को टुकड़े टुकड़े में करके बिना बंटवारा कराये अपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों को विक्री कर देंगे। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा सुनील सिंह से वादग्रसत भूखण्ड की खरीद विक्री की

लगातार
22.04.2024

बातचीत कर रहे हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा विवादित एराजी की विक्री करने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगा तथा अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा निर्गत करते हुये इस वाद के अंतिम निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि के निश्वत किसी प्रकार का अंतरण विलेख निष्पादित नहीं करने का आदेश पारित किया जाये। साथ ही वादी के इजमाल दखल कब्जे में कोई हस्तक्षेप न करें तथा विवादित एराजी पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाये।

प्रतिवादी सं0 1 के तरफ से दिनांक– 13.04.2023 को प्रतिउत्तर दाखिल करते हुये उनके विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपना बयान तहरीरी दाखिल किया जा चुका है। वादी द्वारा विवादित भूमि को संयुक्त कहा जा रहा है तथा कोई नाप जोखकर बंटवारा नहीं होने की बात कही जा रही है, परन्तु वादी द्वारा बंटवारा का कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है तथा गलत सर्वे की इन्ट्री के लिए पुराना सर्वे खतियान का कोई जिक्र वाद में नहीं है और न ही अनुसूची में दर्ज है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि भगवान सिंह की मृत्यु वर्ष 2002 में हो गई तथा उनके दो पुत्र वादी एवं प्रतिवादी सं0 3 मुम्बई रहने लगे तथा पुत्री मधु सिंह प्रतिवादी सं0 4 तथा गायत्री देवी प्रतिवादी सं0 5 की शादी प्रतिवादी सं0 2 ने किया वो खर्च का भार उठाया। भगवान सिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 2 भगवान सिंह के सम्पत्ति पर दाखिल काबिज रहीं। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि सोंच समझकर केवाला तहरीर किया है जिसमें कोई फ्राड नहीं हुआ है तथा केवाला वो दखल के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 का दाखिल खारिज होकर रसीद कट रहा है। वादी अंतरिम निषेधाज्ञा प्रतिवादी सं0 1 के बहाने सम्पूर्ण जमीमा नं0 2 ता 4 पर निषेधाज्ञा लगाना चाहते हैं जिसमें सभी खतियानी रैयतों एवं कवालेदार प्रतिवादी सं0 1 का कानूनी हक का हनन हुआ। प्रथमदृष्टया केस तथा सुविधा का संतुलन प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में है तथा वादी को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होगी तथा अनुरोध करते हैं कि वादी का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक– 29.03.2023 को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

लगातार
22.04.2024

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। उपरोक्त आवेदन को निस्तारण करने के लिए तथा निषेधाज्ञा आवेदन के लिए निर्धारित तीन बिन्दुओं का विचारण किया जायेगा।

प्रतिवादी सं0 2 से 5 इस वाद में उपस्थित हैं, परन्तु न तो उनके द्वारा बयान तहरीर दाखिल किया गया है न ही इनके तरफ से निषेधाज्ञा आवेदन पर कोई कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। वादी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में निबंधित केवाला दस्तावेज सं0 11471 दिनांक– 29.08.2018 की अभिप्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है जिसमें गुलाबो देवी द्वारा विकाश कुमार को मौजा चमराहॉ कला नौवरहार, थाना ब्रहम्पुर, थाना नं0 520, अंचल ब्रहम्पुर, जिला बक्सर के खाता सं0 19, प्लाट सं0 89, रकबा 4 एकड़ 33 डी0 तथा खाता सं0 41 प्लाट सं0 91 एक एकड़ 25 डी0 कुल पांच एकड़ 58 डी0 एराजी तहरीर किये हैं। साथ ही वादी द्वारा मौजा चमराहॉ कला नौवरहार, थाना ब्रहम्पुर, थाना नं0 520, अंचल ब्रहम्पुर, जिला बक्सर खाता सं0 19 खेसरा सं0 89 तथा खाता सं0 41, खेसरा सं0 91 के खतियान की अभिप्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है। खाता सं0 19, खेसरा सं0 89 के खतियान के रैयती कॉलम में नन्दजी सिंह वो बिहारी सिंह का नाम अंकित है तथा खाता सं0 41, खेसरा सं0 91 के रैयती कॉलम में बृजकुमार सिंह, विश्वनाथ सिंह, बिहारी सिंह, विजय सिंह, लक्ष्मीनारायण सिंह, नागी सिंह, नारेन्द्र प्रताप सिंह, रामदास सिंह, नन्दजी सिंह का नाम दर्ज है। वादी द्वारा ऐसा दावा किया गया है कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा सुनील सिंह से वादग्रस्त भूमि की खरीद बिक्री की बातचीत कर रहे हैं। वादी द्वारा विवादित जमीन पर अपना इजमाल मौरूसी एराजी घोषित करने तथा केवाला दिनांक– 29.08.2018 जो प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में किए गये केवाला को जाली, फरेबी तथा शून्य घोषित करने के लिए लाया गया है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा एक ही केवाला के माध्यम से खाता सं0 19, प्लाट सं0 89, रकवा–4 एकड़ 33 डी0 तथा खाता सं0 41, प्लाट सं0 91 का 1 एकड़ 25 डी0 जमीन कुल 5 एकड़ 58 डी0 जमीन की खरीद प्रतिवादी सं0 2 से किए हैं। इस वाद में प्रतिवादी सं0 2 से 5 तक उपस्थित हैं, परन्तु उनके तरफ से अभी तक न तो बयान तहरीर दाखिल किया गया है न ही

लगातार
22.04.2024

उनके तरफ से वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन के विरूद्ध कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है न ही प्रतिवादी सं0 2 से 5 तक को कारण–पृच्छा दाखिल करने से वंचित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में इस निषेधाज्ञा आवेदन पर बिना उपस्थित प्रतिवादी सां0 2 से 5 के पक्ष को सुने कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, परन्तु वादी द्वारा यह आवेदन प्रतिवादी सं0 1 द्वारा खरीदगी जमीन को सुनील सिंह को बिक्री करने की बातचीत का जिक्र किया गया है। अतः प्रतिवादी सं0 1 को केवाला दिनांक– 29.08.2018 द्वारा खरीदी गई जमीन को किसी को बिक्री करने से अगले 30 दिन तक रोका जाता है। प्रतिवादी सं0 2 से 5 को निर्देष दिया जाता है कि अपना बयान तहरीर एवं निषेधाज्ञा आवेदन के विरूद्ध कारण–पृच्छा अगली तिथि तक दाखिल करें तत्पश्चात प्रतिवादी सं0 2 से 5 का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक– 29.03.2023 पर गुण–दोष के आधार पर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। प्रतिवादी सं0 2 से 5 को बयान तहरीर एवं निषेधाज्ञा आवेदन के विरूद्ध कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है।

वास्ते दिनांक– 27.05.2024 प्रतिवादी सं0 2 से 5 के तरफ से बयान तहरीरी तथा कारण–पृच्छा दाखिल करने हेतु।

लेखापित

ह0/–

(राकेश कुमार राकेश)
सब जज प्रथम, डुमरॉव ।